



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 4() परावि/पीसी/निरायो/बजट/2014-15/ 185

जयपुर, दिनांक : 3/2/2015

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 57 /2014-15)

पंचायत राज संस्थाओं के लिए निबन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) योजना की वर्ष 2014-15 की द्वितीय किस्त की राशि रुपये 3,23,90,42,000/- (अक्षरे राशि रु. तीन अरब तेईस करोड़ नब्बे लाख बियालीस हजार मात्र) ग्राम पंचायतों को बैंकिंग चैनल (ऑफ लाईन) के माध्यम से हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग विभागीय पत्र क्रमांक 857 दिनांक 9.9.2011 द्वारा जारी योजना के दिशा-निर्देशानुसार तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की रिपोर्ट सितम्बर, 2013 वर्ष 2010-15 की सिफारिशानुसार ही किया जावेगा। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति हेतु प्रावधित राशि एवं महिलाओं एवं बालिकाओं पर व्यय हेतु जेण्डर बजट हेतु प्रावधित 48 प्रतिशत राशि का व्यय इन वर्गों के कल्याणार्थ किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

बजट मद : 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198-ग्राम पंचायतों को सहायता मांग सं. 41 (22)-पंचायती राज संस्थाओं के लिए निबन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायताार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	बजट मद : 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198-ग्राम पंचायतों को सहायता मांग सं. 30 (23)-पंचायती राज संस्थाओं के लिए निबन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायताार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	बजट मद : 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198-ग्राम पंचायतों को सहायता मांग सं. 51 (24)-पंचायती राज संस्थाओं के लिए निबन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायताार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	योग (राशि लाखों में)
19017.32	5722.45	7650.65	32390.42
अक्षरे राशि रु. एक अरब नब्बे करोड़ सत्रह लाख बत्तीस हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. सत्तान्न करोड़ भाईस लाख पैतालीस हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. छियत्तर करोड़ पचास लाख पैसठ हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. तीन अरब तेईस करोड़ नब्बे लाख बियालीस हजार मात्र
कुल योग			32390.42

(अक्षरे राशि रु. तीन अरब तेईस करोड़ नब्बे लाख बियालीस हजार मात्र)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 271500029 दिनांक 19.01.2015 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग ।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग ।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग ।
7. स्टेट लीड बैंक आफ़ीसर, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार राशि अन्तर्गत अविलम्ब हो जाये, इसकी सुनिश्चितता हेतु समन्वय करने का श्रम करावें ।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. विलों के अनुसार चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें ।
9. बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तर्गत करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करें ।
10. चीफ़ मैनेजर /ब्रान्च मैनेजर बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ़ट तैयार कराकर अविलम्ब संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित कराने की व्यवस्था करावें ।
11. समस्त चीफ़ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावें । गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे । यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब " सरपंच ग्राम पंचायत.....(प.स..... जि.प.....) के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक बनाया जाकर संबंधित पंचायत समिति कार्यालय या संबंधित जिला परिषद कार्यालय या इस विभाग को तत्काल प्रेषित करावें । किसी भी स्थिति में राशि बैंक द्वारा नहीं रोकी जावे । अतः उक्तानुसार अपनी सहायक बैंकों को राशि अन्तरण के समय निर्देश आपके स्तर से प्रेषित करें ।
- अपनी सहायक बैंकों से ग्राम पंचायतों के सही बैंक खातों में एवं त्रुटि की स्थिति में डी.डी./बैंकर्स चैक से राशि के अन्तरण की पुष्टि प्राप्त कर सम्पूर्ण राशि के अन्तरण की की पुष्टि विभाग को 7 दिवस में निजवाना सुनिश्चित करें ।
12. समस्त चीफ़ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ़ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा ।
13. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार बैंक वार एफ.वी.सी. विल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित करने की तत्काल व्यवस्था करावे ।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की रिपोर्ट सितम्बर, 2013 के दिशा निर्देशों के अन्वयानुसार रहते हुये किया जावे तथा समस्त विकास अधिकारीगण इस बाबत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतों को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, यह सुनिश्चित भी करावे ।
15. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त ।
16. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंच, ग्राम पंचायत को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की रिपोर्ट सितम्बर, 2013 के दिशा निर्देशों के अन्वयानुसार रहते हुये किया जावे ।
17. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली ।

अधिसाधी अभियन्ता (टी.सी.)

Districtwise Allotment of Untied Fund 2014-15 (2nd Installment)

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम


198- ग्राम पंचायतों को सहायता

साखणी-स

(आयोजना)

(Amount in Rs.)

Sr. No.	NAME OF ZILA PARISHAD	Demand-41 (22) [02] - 12	Demand-30 (23) [02] - 12	Demand-51 (24) [02] - 12	Total
1	AJMER	55739765	16772501	22424055	94936321
2	ALWAR	85996321	25876919	34596239	146469479
3	BANSWARA	63498831	19107261	25545520	108151612
4	BARAN	41248567	12411994	16594260	70254821
5	BARMER	88810884	26723842	35728536	151263262
6	BHARATPUR	64031316	19267489	25759739	109058544
7	BHILWARA	70611309	21247457	28406863	120265629
8	BIKANER	75384656	22683792	30327177	128395625
9	BUNDI	39061575	11753912	15714435	66529922
10	CHITTORGARH	48570235	14615137	19539760	82725132
11	CHURU	55720748	16766779	22416405	94903932
12	DAUSA	50490985	15193105	20312476	85996566
13	DHOLPUR	34002968	10231741	13679362	57914071
14	DUNGARPUR	51175608	15399113	20587899	87162620
15	GANGANAGAR	56937856	17133015	22906046	96976917
16	HANUMANGARH	49502084	14895537	19914642	84312263
17	JAIPUR	101248212	30466324	40732061	172446597
18	JAISALMER	60208835	18117277	24221958	102548070
19	JALORE	54617743	16434876	21972667	93025286
20	JHALAWAR	43720819	13155913	17588844	74465576
21	JHUNJHUNU	50719192	15261774	20404284	86385250
22	JODHPUR	82953550	24961327	33372135	141287012
23	KOTA	36532272	10992826	14696899	62221997
24	NAGORE	84056554	25293229	33815873	143165656
25	PALI	63308658	19050036	25469014	107827708
26	RAJSAMAND	34744644	10454916	13977738	59177298
27	SAWAIMADHOPUR	39270766	11816859	15798592	66886217
28	KAROLI	45052031	13556484	18124390	76732905
29	SIKAR	60551147	18220281	24359670	103131098
30	SIROHI	38605160	11616574	15530820	65752554
31	TONK	43644749	13133023	17558242	74336014
32	UDAIPUR	97577869	29361891	39255485	166195245
33	PRATAPGARH	34136091	10271796	13732914	58140801
TOTAL		1901732000	572245000	765065000	3239042000


 (प्रो.)
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास विभाग